

संख्या-1094/एक-10-2024

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,
उ०प्र०, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 23 सितम्बर, 2024

विषय- प्रदेश में स्थापित हुए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन (ए०डब्लू०एस०) एवं ऑटोमेटिक रेन गेज (ए०आर०जी०) हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राहत आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-5783/रा०आ०का०/ए०डब्लू०एस० पत्रा०/2024-25, दिनांक 25-06-2024, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश में ए०डब्लू०एस० एवं ए०आर०जी० स्थापित किये जाने हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से कुल स्वीकृत धनराशि ₹ 14216.38 लाख के सापेक्ष टेंडर की धनराशि ₹ 1,39,56,35,713/- में से Payment terms के अनुसार Comprehensive AMC की कॉस्ट ₹ 31,52,29,814/- छोड़कर (जिसका भुगतान दो साल का वारंटी पीरियड समाप्त होने के बाद किया जायेगा।) अवशेष धनराशि ₹ 1,08,04,05,900/- का 70 प्रतिशत अर्थात् ₹ 75,62,84,130/- (पचहत्तर करोड़ बासठ लाख चौरासी हजार एक सौ तीस) की वित्तीय स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश में स्थापित हुए ए०डब्लू०एस० एवं ए०आर०जी० हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से कुल स्वीकृत धनराशि ₹ 14216.38 लाख के सापेक्ष टेंडर की धनराशि ₹ 1,39,56,35,713/- में से Payment terms के अनुसार Comprehensive AMC की कॉस्ट ₹ 31,52,29,814/- छोड़कर (जिसका भुगतान दो साल का वारंटी पीरियड समाप्त होने के बाद किया जायेगा।) अवशेष धनराशि ₹ 1,08,04,05,900/- का 70 प्रतिशत अर्थात् ₹ 75,62,84,130/- (पचहत्तर करोड़ बासठ लाख चौरासी हजार एक सौ तीस) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राहत आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्त/प्रतिबंध

- राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDM-I, दिनांक 14.01.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। राहत आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि

- गाईडलाईन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।
2. राहत आयुक्त, 30प्र0, लखनऊ द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार ही समस्त कार्य कराया जायेगा उससे इतर कोई कार्य नहीं कराया जायेगा। चयनित फर्म को टेण्डर डॉक्यूमेन्ट्स की सेवा शर्तों के अनुसार ही फर्म को भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
 3. स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार वित्तीय हस्त पुस्तिका /बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व राहत आयुक्त, 30प्र0, लखनऊ का होगा।
 4. जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। किसी अन्य मद में धनराशि का ड्रायवर्जन नहीं किया जायेगा।
 5. स्थापित किये गये ए.डब्ल्यू.एस. एवं ए.आर.जी. की सुरक्षा एवं देख-भाल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों के माध्यम से राहत आयुक्त द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
 6. राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठकों में दिये गये निर्देश के अनुसार डाटा का संकलन, प्रसारण आदि का कार्य राहत आयुक्त द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
 7. जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
 8. समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
 9. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
 10. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- 3- इस सम्वन्ध में होने वाला व्यय रू0 75,62,84,130/- (पचहत्तर करोड़ बासठ लाख चौरासी हजार एक सौ तीस) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250-101-05-24 वृहद निर्माण कार्य मद में स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024--231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Signed by Ram Kewal

Date: 23-09-2024 18:17:37

(राम केवल)

विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/ऑडिट प्रथम, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
- 2- स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 5- नोडल अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 (बजट आवंटन), उ०प्र० शासन।
- 6- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 8- गार्ड फाइल।

Signed by आज्ञा से,
Shailendra Mani Tripathi
Date 23-08-2021 (20.08.21)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक:-24/09/2024

प्रेषण संख्या:- 1094
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1094

अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - प्राकृतिक आपदाएं

05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं० , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	756284130 1070045915	756284130 1070045915
	योग	वर्तमान प्रगामी	756284130 1070045915	756284130 1070045915

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पचहत्तर करोड़ बासठ लाख चौरासी हजार एक सौ तीस

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक अरब सात करोड़ पैंतालीस हजार नौ सौ पन्द्रह

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।